डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 विश्वेन्द्र बनाम सरकार

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 184/2024

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

बेज – गुबलिग – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————— फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत———— 28/4/25

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 184/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 28.04.2025

1. विश्वेन्द्र पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. पवन पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. जगदीश पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. देशराज पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. श्रीमति पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. राजवती पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. पुष्पा पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. रूकमणी पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. प्रेमवती पत्नि बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते

वादीगण

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री उदित कटारा एड.(वादी की ओर से)

तहसीलदार नदबई (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय

दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:14 IST
Reason: SelfAttested

28/4/25

के नाम खातेदारी दर्ज होनेके कारण वादीगण के बाबा का सगा भाई
... कोई औलाद नहीं थी वह लावल्द बिला औलाद ...

Scanned with OKEN Scanner

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादी एवं प्रतिवादीगण में से कोई ऐसा सख्श नहीं है जो दावा लडने के योग्य नहीं यानि दोनों पक्षकारान मुकदमा लडने में सक्षम हैं।

2. यह कि हाल जमाबंदी संवत 2076 की खाता स. 194 के ख.न. 833 रकबा 0.84, खाता स.189 के ख.न. 834 रकबा 0.15, कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्ट. वाके ग्राम रैना तहसील नदबई में स्थित है जो हाल खसरा नंबर मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 से पूर्व के आराजी खसरा नंबर 577 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा से बनाया गया है व मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 से पूर्व के आराजी खसरा नंबर 534/422 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नंबर 421 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा से बनाए गए हैं। इसलिए दावा के समर्थन में हाल जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व 2028 एवं जमाबंदी संवत 2011 लगायत 2021तक एवं खसरा संवत 2011 लगायत 2017 तक पेश है।

3. यह कि वादीगण का सजरा वादपत्र पर अंकित है।

4. यह कि वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी वादीगण के पिता बलवीर को जुगल द्वारा एक किता वसीयत कराई थी। उक्त विवादित आराजी वसीयत कर्ता जुगल की खातेदारी की खुदकाश्त आराजी थी। जिसे वसीयत कराने का पूर्ण अधिकार था। उक्त विवादित आराजी संवत 2011 लगायत 2021 के रिकॉर्ड से बखूबी साबित है परन्तु भूप्रबंध विभाग संवत 2028 के राजस्व कर्मचारियों द्वारा खातेदार से गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड कर दिया गया जबकि भूप्रबंध विभाग के कर्मचारियों को किसी की खातेदारी को कलमजन करने का कानूनी अधिकार हासिल नहीं था। इसलिए हाल रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राजात जुगल के नाम को कलमजन कर वादीगण अपने नाम खातेदारी करा पाने का अधिकारी है एवं हाल रिकॉर्ड में हो रहे गैर खातेदारी के स्थान पर वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

5. यह कि वादपत्र विवादित आराजी प्रतिवादीगण के द्वारा धमकी दिनांक 15.09.24 वाके खटौटी पर दी गई कि उक्त आराजी से कब्जे व मौके से बेदखल कर देंगे। इसलिए आप गैर खातेदार होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद [illegible] अधिकारी हैं। अंत में वादी द्वारा प्रार्थना की कि वादीगण के स्वर्गीय पिता [illegible] को उनके चाचा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:14 IST
Reason: SelfAttested

28/4/25

Scanned with OKEN Scanner

जुगला द्वारा एक वसीयत कराई गई थी परन्तु वादीगण के पिता का भी स्वर्गवास हो चुका है। उक्त विवादित आराजी भूप्रबंध विभाग संवत 2028 राजस्व कर्मचारियों द्वारा गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जो गलत है क्योंकि भूप्रबंध विभाग द्वारा किसी भी खातेदारी को कलमजन करने का अधिकार नहीं था इसलिए वादीगण को मुताबिक वसीयत के आधार से खातेदार हाल रिकॉर्ड दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई उपस्थित हुऐ। जबाव दावा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी स. 1 के जबाब दावा के अभिवचनो के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्नांकित तनकीयात कि गई जो इस प्रकार है।

1. आया वादी विवादित आराजी मद संख्या 2 वादपत्र वाके रैना स्थित है। वादीगण मुताबिक वसीयत के आधार से खातेदार हाल रिकॉर्ड दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं एवं रिकॉर्ड में हो रहे गैर खातेदार इन्द्राजात को कलमजन कर खातेदार घोषित किया जावे। — जिम्मेवादीगण
2. आया विवादित आराजी की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी एव अब्दुर्रहमान की शर्तों से प्रभावित नहीं है। खातेदार किए जाने में कोई ऐतराज नहीं है। —जिम्मेप्रतिवादी

सत्यमेव जयते

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल मिसल बंदोबस्त संवत भूप्रबंध विभाग 2001 से अगस्त 2021 तक वाके ग्राम रैना, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028, नकल जमाबंदी संवत 2017 वाके रैना, नकल जमाबंदी संवत 2021 वाके रैना, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके रैना, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके रैना, नकल [illegible] संवत 2060–63, 2064–67, 2068–71, 2072–75, 2051–55, [illegible] –41, 2047–50

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:14 IST
Reason: SelfAttested

28/4/25

Scanned with OKEN Scanner

वाके रैना एवं नकल जमाबंदी संवत 2028 पेश की गई। तथा मौखिक बयान में राजवीर पुत्र करनसिंह जाति जाट निवासी रैना, देवेन्द्र पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी नाम, चन्द्रपाल पुत्र नेपाल जाति जाट निवासी खटौटी, जगदीश पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी, भरती पुत्र किशोरी जाति जाट निवासी खटौटी पेश किए गए।

पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 16.12.2024 को पेश की गई। नकल जमाबंदी संवत 2076–79 पेश किए गए।

हमने वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया वादी विवादित आराजी मद संख्या 2 वादपत्र वाके रैना स्थित है। वादीगण मुताबिक वसीयत के आधार से खातेदार हाल रिकॉर्ड दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं एवं रिकॉर्ड में हो रहे गैर खातेदार इन्द्राजात को कलमजन कर खातेदार घोषित किया जावे। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी खसरा नंबर 833 रकबा 0.74 व 834 रकबा 0.15 है0 जो भूप्रबंध विभाग संवत 2060 के आराजी खसरा नंबर 577 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा बनाए गए तथा भूप्रबंध विभाग संवत 2028 से के आराजी खसरा नंबर 534/422 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा से बनाए हैं। उक्त विवादित आराजी वाके रैना स्थित है। विवादित आराजी संवत 2009 लगायत 2012 एवं संवत 2013–2024 तक वादीगण के बाबा जुगल पुत्र वक्ता जाति जाट निवासी खटौटी के नाम खातेदार व दर्ज थी। परन्तु भूप्रबंध विभाग संवत 2028 में कर्मचारियों द्वारा गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर दिए गए। उक्त विवादित आराजी वादीगण के बाबा जुगल पुत्र वक्ता के नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण वादीगण के बाबा का सगा भाई था जिसके कोई औलाद नहीं थी व लावल्द बिला औरत फौत हो गया इसी कारण जुगल ने वादीगण के पिता बलवीर [illegible] वसीयत [illegible].09.2018 को कर दी गई परन्तु उक्त वसीयत रजिस्टर्ड [illegible] आराजी गैर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:14 IST
Reason: SelfAttested

28/4/25

Scanned with OKEN Scanner

के रूप में दर्ज रही है। वसीयत की वैद्यता एवं सत्यता रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण संदेहास्पद है। दावा में अन्य आवश्यक पक्षकार भी नहीं बनाए गए हैं। जुगल पुत्र वक्ता के एकमात्र वारिस वादीगण के पिता हैं यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया विवादित आराजी की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी एव अब्दुर्रहमान की शर्तों से प्रभावित नहीं है। खातेदार किए जाने में कोई ऐतराज नहीं है। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा एवं रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी दिए जाने में कोई ऐतराज नहीं किया गया है। परन्तु तनकी संख्या 01 के विवेचन व निर्णयानुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण काबिल खारिजी के है।

अतः आदेश है कि वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.4.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

28/4/25
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner